

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय  
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

विषय :- भूमि विवाद को लेकर अनावेदकगण द्वारा आवेदक के उपर जानलेवा हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने, आगे आवेदक को जान से मारकर फेंक देने पर अमादा होने की शिकायत तथा आवेदक को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र।

आवेदक :- छांगुर प्रसाद आ0 स्व0 अयोध्या प्रसाद साहू उम्र लगभग-73 वर्ष,  
पेशा-कृषि, निवासी ग्राम-बड़सरा, थाना व तहसील-भैयाथान,  
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

अनावेदकगण :- 1. सुनिल साहू आ0 पहलवान, उम्र लगभग-40 वर्ष  
पेशा-भारतीय जनता पार्टी, मण्डल-भैयाथान, मण्डल अध्यक्ष,  
2. सुशील साहू आ0 पहलवान, उम्र लगभग-45 वर्ष, पेशा-कृषि  
3. पहलवान साहू आ0 दशरथ साहू उम्र लगभग-65 वर्ष, पेशा-कृषि  
4. रामहित साहू आ0 बृजमोहन, उम्र लगभग-66 वर्ष, पेशा-कृषि  
5. अरविन्द साहू आ0 रामहित साहू उम्र लगभग-42 वर्ष, पेशा-कृषि  
6. रामप्रसाद साहू आ0 दशरथ साहू उम्र लगभग-58 वर्ष, पेशा-कृषि  
7. बृजेश आ0 रामप्रसाद साहू उम्र लगभग-32 वर्ष, पेशा-नौकरी, नगर  
सैनिक चौकी-बसदेई  
8. दिपेश आ0 रामप्रसाद साहू उम्र लगभग-28 वर्ष, पेशा-कृषि  
9. सेवक आ0 बृजमोहन साहू उम्र लगभग-52 वर्ष, पेशा-ग्राम सचिव,  
ग्राम-शिवप्रसादनगर/भंवराही  
10. चन्दर आ0 दशरथ, उम्र लगभग-70 वर्ष, जाति-तेली पेशा-कृषि,  
11. विजय कुमार आ0 चन्दर साहू उम्र लगभग-36 वर्ष, जाति-तेली, पेशा-कृषि,  
क्र0-01 से 11 तक सभी निवासी ग्राम-बड़सरा, थाना व तहसील-भैयाथान,  
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)  
12. राजकुमार आ0 अज्ञात, उम्र लगभग-35 वर्ष, पेशा-बंधवा मजदूर, निवासी  
ग्राम-खाड़ापारा, थाना व तहसील-भैयाथान, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन प्रस्तुत किया जाता है :-

क्रमशः .....

*छांगुर प्रसाद*

1. यह कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही ग्राम-बड़सरा के निवासी हैं। मात्र अनावेदक क्र०-10 राजकुमार अनावेदकगण के पास 10 वर्षों से बंधवा मजदूर है।
2. यह कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम-बड़सरा में स्थित है, जिसका ख०न०-1555/1 रकबा 0.40 आरे, 1557/2 रकबा 0.11 आरे, 1558/3 रकबा 0.09 आरे भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन भी आवेदक द्वारा कराया गया है। उक्त भूमि को अनावेदकगण अपना होना कहकर हड़पना चाहते हैं।
3. यह कि अनावेदक क्र०-01 एक चालू किस्म का व्यक्ति है तथा कानूनी दांव-पेंच में माहिर व्यक्ति है तथा भारतीय जनता पार्टी भैयाथान ब्लॉक का फुददेवार नेता है तथा वर्तमान में भैयाथान का मण्डल का अध्यक्ष भी है।
4. यह कि अनावेदक क्र०-01 ने दिनांक को शेष अनावेदकगण द्वारा तलवार एवं लाठी-डंडा से प्राण घातक हमला करवाया था जिससे आवेदक का दाहिना हाथ टूट गया तथा बायां हाथ टांगी से मारने से कट गया है, जिसका मुलाहिजा एवं एक्सरे भी किया गया है।
5. यह कि आवेदक की और भूमि सम्मिलात खाता में है, जिसका ख०न० 1528/3 रकबा 0.02 और 1529 रकबा 0.19 आरे है उसका भी सीमांकन कर आपस में समझौता कर आवेदक को कब्जा दिया गया और आपसी सहमति के आधार पर वर्तमान समय तक आवेदक का ही उक्त भूमि पर निरंतर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है।
6. यह कि खसरा नं० 1555/1 रकबा 0.40 आरे भूमि पर 10 दिन पूर्व आवेदक अपने परिवार एवं नौकर-चाकरों के साथ जोताई करने गया तो अनावेदक सेवक की पत्नी गालीगलौज करने लगी की हमारे खेत मत जोतो, तब आवेदक के बड़े भाई बिजेन्द्र प्रसाद साहू के पास गये और कहे कि आवेदक के खेत में चल कर सेवक की पत्नी को गालीगलौज करने से रोके, तो बिजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आवेदक के नाम पर भूमि है तो क्यों रोक रही हो और क्यों गालीगलौज कर रही है। इतना सुनकर सेवक की पत्नी बोली कि अपना बहरा खेत आवेदक को क्यों नहीं दे देते हैं। तब बिजेन्द्र प्रसाद ने सेवक जो ग्राम सेवक है को फोन लगाया कि सेवक की पत्नी खेत आवेदक को क्यों नहीं जोतने देती है, तुम उसे नहीं बताए हो क्या। तब सेवक ने कहा कि मैं मना करता हूँ तो नहीं मानती है। जब सेवक आया तो आवेदक को जोताई करने दिया। जब सुबह हुआ

क्रमशः .....

खसरा-पृष्ठ

तो रामहित साहू आठ बृजमोहन अपना ट्रैक्टर ले आकर लबड़ी चलाया, फिर आवेदक खेत में जाकर देखा तो लबड़ी चलाया हुआ था, जिस पर आवेदक ने सेवक साहू से कहा कि तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो तो आवेदक ने सेवक साहू से कहा कि तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो तो कहा कि जरई धान बोया है। उसके बाद मैं अपने घर चले गये।

7. यह कि दूसरे दिन आवेदक बिजेन्द्र साहू के घर में जाकर बोला कि एक भाई उक्त भूमि पर आवेदक से जोताई करवा दिया और दूसरा भाई लबड़ी चला दिया। अब मैं क्या करूँ, अब बीज कहाँ ले जाऊँ और कैसे करूँ, तो बिजेन्द्र साहू ने कहा कि ठीक है मैं शाम को सुनिल साहू को बुलाता हूँ वहीं घर का मुखिया है। उसके बाद 15 दिन हो गया परंतु मिटिंग नहीं कराया। फिर मैं सरपंच को कहा कि मुझे सुबह रोपा लगाना है, अनावेदकगण को ग्राम पंचायत में बुलाओ तो ग्राम पंचायत में सुनिल आया और बोला कि आपस का मामला है शाम को मिटिंग घर में ले लेंगे। उसके बाद मैं नहीं गया क्योंकि मुझे अनावेदकगण द्वारा मारपीट करने का डर था।

8. यह कि ख0नं0 1532/1 रकब0 13 क्यारी खेत में एक क्यारी में खाद डालकर दूसरी अर्थात् बीच की क्यारी में नीचे झुककर खाद छिड़क रहा था इतने में ही अनावेदकगण योजना बनाकर लाठी-डंडा व टांगी लेकर आये और आवेदक की पत्नी अनावेदकगण को देख आवाज दी कि वहां से भागो, उतने में ही सुशील एवं उसके पीछे रामप्रसाद लाठी लेकर, दीपेश टांगी लेकर आये और साथ में राजकुमार भी लाठी लेकर आया। दीपेश टांगी से बायें तरफ से सिर में मार रहा था तो मैं बचने के लिए बायें हाथ से टांगी को रोका तो टांगी से बायां हाथ की कान्ही उंगली कट गया। उसके बाद रामप्रसाद दाहिना हाथ में डण्डा से मारा और राजकुमार लाठी से मारा तो मैं बेहोश होकर गिर गया, तो आवेदक को देखकर अनावेदकगण भागना चालू किये, उसी समय मेरा ड्राईवर बिरेन्द्र यादव पत्नी सुशीला बाई तथा नौकर लोग बचाओ-बचाओ करके हल्ला किये, तब जाकर मेरी जान बची।

9. यह कि अनावेदकगण के भागने के बाद मुझे मेरा ड्राईवर मोटरसायकल से करौंदा मुड़ा अनावेदकगण के डर से दूसरे रास्ते से घर लाया। उसके बाद दिन 11.30 बजे मारपीट होने एवं 12.00 बजे तक घर में आने के बाद मेरा पुत्र थाना भैयाथान चार चक्का गाड़ी में से ले गया। रिपोर्ट करने के बाद आवेदक को शासकीय अस्पताल ले गये। उसके बाद मेरा ईलाज हुआ। वहां के डॉक्टर ने आवेदक को जिला अस्पताल सूरजपुर में रेफर किया, वहां आवेदक का ईलाज हुआ और एक्सरे हुआ। सूरजपुर से बैकुण्ठपुर अस्पताल

क्रमशः .....

बिजेन्द्र साहू

रात में 10 बजे पहुँचे और इलाज किये।

10. यह कि उसके बाद अनावेदक क्र०-01 सुनील साहू, ग्रामवासियों रामू गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का नेता, रामहित साहू, करमन सिंह, बाबुलाल चक्रधारी, राम साहू, शिवलाल साहू, सालिकराम साहू, राजेन्द्र सारथी, संतलाल चक्रधारी, रामबली यादव, प्रमिला यादव, पुन्नेलाल आठ कौराराम हरिजन को दिनांक 21/07/2025 को भैयाथान ले जाकर मिडिया के समक्ष ले जाकर शिकायत कराया।

11. यह कि ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का पूरा परिवार के लोग गिरौह बनाकर तथा अनावेदक क्र०-01 भारतीय जनता पार्टी का लीडर होने से ग्रामवासियों को अपने पक्ष में कराकर आवेदक तथा उसके परिवार को जान का खतरा है तथा ग्राम में शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार अनावेदक सुनील साहू आवेदक की भूमि को लेकर त्रुटि सुधार के संबंध में विवाद करता है तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर की भूमि जो त्रुटि सुधार की गई उसका विवाद नहीं बताता है।

12. यह कि अनावेदकगण आवेदक तथा उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक एवं उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अपने बंधवा मजदूर राजकुमार द्वारा आ०जा०क० थाना में झूठी रिपोर्ट करता है और फंसाने की धमकी देता है। सेवक साहू एक शासकीय सेवक होने के बावजूद भी बंधवा मजदूर द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दे रहा है और जान से मार कर गाड़ देने की धमकी देता है।

अस्तु: श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं बिन्दुओं के प्रकाश में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अनावेदकगण के विरुद्ध उचित दाण्डिक कार्यवाही करते हुए आवेदक को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक-22/07/2025

हस्ता० आवेदक

मो० नं०-9770932123

कांग्रेस

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): सूरजपुर  
FIR No. (प.सू.रि. सं.): 0113

P.S. (थाना): झिलमिली (भैया थाना) Year (वर्ष): 2025  
Date and Time of FIR (प.सू.रि. की दिनांक और समय): 19/07/2025 14:30

| 2. S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                       | Sections (धाराएं) |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1                  | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 296               |
| 2                  | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 115(2)            |
| 3                  | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 351(2)            |
| 4                  | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 3(5)              |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार  
Date From (दिनांक से): 19/07/2025  
Time Period (समय अवधि): पहर 4  
Time To (समय तक): 12:30 बजे

Date To (दिनांक तक): 19/07/2025  
Time From (समय से): 12:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):  
Date (दिनांक): 19/07/2025 Time (समय): 14:30 बजे  
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002  
Date & Time (दिनांक और समय): 19/07/2025 14:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पश्चिम,  
Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम बडसरा गोहगढपारा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):
15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge  
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pingal Minj

Rank(ग्रेड): HC (Head Constable)

No.(नं.): 142

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं ग्राम बडसरा थाना झिलमिली का रहने वाला हूँ खेती किसानों का काम करता हूँ कि आज दिनांक 19/07/2025 को सुबह लगभग 11/00 बजे अपने खेत गोहगडपारा में रोपा लगाने के लिये खाद छिट रहा था कि समय लगभग 12/30 बजे मेरे खेत के पास आकर गांव का दिपेश कुमार, राम प्रसाद, तथा राज कुमार आकर मेरे मुँह बोलने की यह खेत हमारा है क्यों खाद छिट रहे हो बोलकर आवेश में आकर सभी लोग माँ बहन की अश्लील गंदी गंदी गाली गलौज कर दिवेश अपने हाथ में रखे टापी से मेरे बाये हाथ के पंजा में एवं राम प्रसाद अपने हाथ में रखे डण्डा से मेरे दाहिने हाथ के कोहनी के निचे एवं राज कुमार डण्डा से मेरे पिठ में मारपीट किया है मारपीट करने से मेरे बाये हाथ के पंजा, दाहिना हाथ के कोहनी के निचे एवं पीठ में चोट लगा है। तीनों लोग जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे रहे थे घटना को बिरेन्द्र यादव, पद्मी सुशीला यादव देखे एवं बीच बचाव किये है बाद में अपने घर आकर घर वालों को बताया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही किया जाये मैं अपना रिपोर्ट को पढ़वाकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखा गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: Pingal Minj(HC (Head Constable)) / 142  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

No. (सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सगुर प्रसाद साहू

स्व. आशीषा प्रसाद

(b) Father's Name (पिता का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1952

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Id Type<br>(पहचान पत्र का प्रकार) | Id Number<br>(पहचान संख्या) |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1                  |                                   |                             |

(h) Address (पता):

| S.No.(क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                              |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1              | वर्तमान पता                  | ग्राम बडसरा, झिलमिली (भैया थाना), सूरजपुर, छत्तीसगढ़, भारत |
| 2              | स्थायी पता                   | ग्राम बडसरा, झिलमिली (भैया थाना), सूरजपुर, छत्तीसगढ़, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7999774735

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Name<br>(नाम) | Alias<br>(उपनाम) | Relative's Name<br>(रिश्तेदार का नाम) | Present Address<br>(वर्तमान पता)                              |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                  | दिपेश कुमार   |                  | पिता का नाम : राम प्रसाद              | 1. ग्राम बडसरा, झिलमिली (भैया थाना), सूरजपुर, छत्तीसगढ़, भारत |
| 2                  | राम प्रसाद    |                  | पिता का नाम : स्व. दशरथ               | 1. ग्राम बडसरा, झिलमिली (भैया थाना), सूरजपुर, छत्तीसगढ़, भारत |
| 3                  | राज कुमार     |                  | पिता का नाम : अज्ञात                  | 1. ग्राम बडसरा, झिलमिली (भैया थाना), सूरजपुर, छत्तीसगढ़, भारत |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

समय पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Property Category<br>(संपत्ति श्रेणी) | Property Type<br>(सम्पत्ति का प्रकार) | Description<br>(विवरण) | Value(In Rs/-)<br>(मूल्य (रु में)) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                    |                                       |                                       |                        |                                    |

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)